राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 214वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ 214वीं बैठक दिनांक 11/01/2017 को पूर्वान्ह 11:00 बजे, स्थान–सभाकक्ष, पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नया रायपुर में श्री धीरेन्द्र शर्मा, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के निम्न सदस्य उपस्थित थेः–

1. श्री एन.आर. यादव, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
2. श्री अरविन्द कुमार गौरहा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
3. श्री विनय कुमार मिश्रा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
4. डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
5. श्री सुरेन्द्र कुमार जैन, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
6. डॉ. एम.डब्ल्यु.वाय. खान, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
7. श्रीमती रेजीना टोप्पो, सचिव, राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति

प्रारंभ में राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सचिव द्वारा माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया। ऐजेण्डा के क्रम में निम्नानुसार चर्चा की गईः–

ऐजेन्डा आईटम नं.–1: 213वीं बैठक दिनांक 10/01/2017 का कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 213वीं बैठक दिनांक 10/01/2017 को आयोजित की गई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है तथा समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जावेगा। इसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

ऐजेन्डा आईटम नं.–2: परियोजनाओं एवं गौण खनिज के पर्यावरणीय स्वीकृति /टीओआर बाबत् निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स हिन्द एनर्जी एण्ड कोल बेनीफिशिएशन (इंडिया) लिमिटेड, ग्राम–धतुरा, तहसील–पाली, जिला–कोरबा (516)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / सीएमआईएन / 17642/2016, यह आवेदन दिनांक 26/10/2016 के द्वारा ऑनलाईन प्राप्त हुआ है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा वेट टाईप कोल वॉशरी क्षमता–0.96 मिलियन टन/वर्ष के टीओआर बाबत् खसरा नम्बर 356, 360/1, 362/1, 362/3, 363/2, 365/1, 367/1, 367/3, 367/4, 385/9, 388/3, 388/15, 390, 392, 393, 394, 395/1, 395/2, 396, 397/1, 361/2, 388/2, 388/1,

388/7, 388/4, 388/9, 388/8, 388/6, 388/5, 388/12, 388/14, 387, 389/1, 372/1, 366/1, 388/17, 350/1, कुल एरिया 6.12 हेक्टेयर (15.12 एकड़), ग्राम–धतुरा, तहसील–पाली, जिला–कोरबा हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना की कुल विनियोग रुपये 15.0 करोड़ है।

भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार खसरा नम्बर 356, 360/1, 362/1, 362/3, 363/2, 365/1, 367/1, 367/3, 367/4, 385/9, 388/3, 388/15, 390, 392, 393, 394, 395/1, 395/2, 396, 397/1, कुल क्षेत्रफल 7.43 एकड़ भूमि मेसर्स हिन्द एनर्जी एण्ड कोल बेनीफिशिएशन (इंडिया) लिमिटेड के नाम पर है तथा खसरा नम्बर 361/2, 388/2, 388/1, 388/7, 388/4, 388/9, 388/8, 388/6, 388/5, 388/12, 388/14, 387, 389/1, 372/1, 366/1, 388/17, 350/1, कुल क्षेत्रफल 7.69 एकड़ भूमि को लीज पर किया गया है।

प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 208वीं बैठक दिनांक 06/12/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया था कि कोल वॉशरी स्थापना हेतु वैकल्पिक स्थलों में से प्रस्तावित स्थल के चयन संबंधी जानकारी, समीपस्थ ग्राम–धतुरा से उद्योग स्थल की सीमा से वास्तविक दूरी, 05 कि.मी. के परिधि में आने वाले ग्रामों, बस्ती, एतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल मार्ग, उद्योग, वन क्षेत्र, नदी / नाला आदि को दर्शाते हुये टोपोशीट में जानकारी, औद्योगिक दूषित जल की मात्रा, दूषित जल की उपचार व्यवस्था, उपचारित दूषित जल के उपयोग / पुर्नउपयोग की व्यवस्था, वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन व्यवस्था, वृक्षारोपण, रॉ–कोल / वॉशकोल / रिजेक्ट के परिवहन की व्यवस्था आदि की जानकारी एवं अन्य समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों के साथ प्रस्तुतीकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 03/01/2017 के द्वारा सूचित किया गया।

समिति द्वारा विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 214वीं बैठक दिनांक 11/01/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री प्रवीण अग्रवाल, डॉयरेक्टर, श्री एस. मित्रा, जनरल मैनेजर एवं मेसर्स पायोनियर इन्वायरो लेबोरेट्रीज एण्ड कन्सल्टेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से वाय. माहेश्वर रेड्डी उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया किः–

1. यह परियोजना हैवी मिडिया साइक्लोन टेक्नोलॉजी पर आधारित वेट टाईप कोल वॉशरी का है।
2. समीपस्थ आबादी ग्राम–धतुरा 0.3 कि.मी., निकटतम रेलवे स्टेशन कोरबा 16.6 कि.मी. की दूरी पर है। अस्पताल / स्कूल ग्राम–हरदी 4.0 कि.मी., निकटतम हवाई अड्डा रायपुर 145 कि.मी. की दूरी पर है। राज्यमार्ग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। लीलागढ़ नदी 0.4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। नेवसा पहर फारेस्ट 1.8 कि.मी., बरगहान रिजर्व फारेस्ट 3.3 कि.मी., बिटकुली रिजर्व फारेस्ट 9.1 कि.मी. एवं छिंदपानी प्रोटेक्टेड फारेस्ट 9.0 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।

3. परियोजना क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।
4. मेन प्लांट एरिया 3.2 एकड़, रॉ–कोल स्टोरेज यार्ड 2.0 एकड़, वॉश्ड कोल स्टोरेज यार्ड 1.5 एकड़, रिजेक्ट स्टोरेज 0.6 एकड़, वॉटर स्टोरेज एवं रेन वॉटर हार्वेस्टिंग 0.7 एकड़, आंतरिक मार्ग 1.5 एकड़, पार्किंग 0.5 एकड़ तथा ग्रीन बेल्ट 5.12 एकड़ है। इस प्रकार कुल एरिया 15.12 एकड़ है।
5. **ग्रीन बेल्ट व्यवस्था –** परिसर के चारों तरफ कम से कम 10 मीटर चौड़ी ग्रीन बेल्ट एवं धतुरा बस्ती की ओर कम से कम 50 मीटर चौड़ी ग्रीन बेल्ट (दक्षिण–पूर्व दिशा की ओर) का विकास किया जावेगा। इस प्रकार कुल क्षेत्र में से लगभग 33 प्रतिशत क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट का विकास किया जावेगा।
6. **मटेरियल बैलेंस**– रॉ–कोल 3000 टन/दिन, वॉस्ड कोल 2400 टन/दिन एवं रिजेक्ट कोल 600 टन/दिन होगा।
7. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था –** वॉशरी रिजेक्ट को ईंधन के रूप में पावर प्लांट में दिया जावेगा। सेटलिंग पौंड से प्राप्त स्लज को रीजेक्ट के साथ ब्लेंड कर उपयोग किया जावेगा। कोल वाशरी से उत्पन्न रिजेक्ट कोल के उपयोग हेतु मेसर्स स्वास्तिक पावर एण्ड मिनरल्स रिर्सोसेस प्राईवेट लिमिटेड, जिला–कोरबा एवं अन्य से अनुबंध किया गया है।
8. कच्चा कोयला एस.ई.सी.एल. के छाल, कुसमुंडा, दीपका, गेवरा एवं अन्य खदानों से प्राप्त की जावेगी। वॉशरी से रॉ–कोल एवं वाश्ड कोल / रिजेक्ट कोल का परिवहन निकट स्थित उद्योगों तक सड़क मार्ग तथा लम्बी दूरी पर स्थित उद्योगों तक रेल मार्ग द्वारा किया जायेगा।
9. **विद्युत खपत** – परियोजना में 01 मेगावॉट बिजली की खपत प्रस्तावित है, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड से की जावेगी।
10. **जल उपयोग की मात्रा** – प्रतिदिन लगभग 210 घनमीटर/दिन (प्रोसेस 200 घनमीटर/दिन, डोमेस्टिक 10 घनमीटर/दिन) जल खपत होगा। जिसका स्त्रोत भू–जल होगा। सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी के पत्र क्रमांक 21–4(123)/ एनसीसीआर/ सीजीडब्ल्यए/ 2011–2014 दिनांक 21/09/2016 द्वारा 495 घनमीटर/दिन के भूमिगत जल की उपयोगिता हेतु अनुमति प्राप्त कर ली गई है।
11. **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** –घरेलू दूषित जल की मात्रा 8.0 घनमीटर /दिन है, जिसके उपचार हेतु सेप्टिक टैंक की व्यवस्था की जायेगी। प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु थिकनर लगाया जावेगा। थिकनर से उत्पन्न दूषित जल को सेटलिंग पोंड में उपचार उपरांत पुनः उपयोग किया जावेगा। क्लोज्ड लूप वॉटर सिस्टम की व्यवस्था की जावेगी। शुन्य निस्सारण की स्थिति रखी जायेगी।
12. डस्ट सप्रेशन / फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव व्यवस्था किया जावेगा। साथ ही वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कोल क्रशर में बेग फिल्टर स्थापित किया जायेगा तथा सभी कन्व्हेयर सिस्टम को ढंका जायेगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 2(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) कोल वॉशरी

क्षमता–0.96 मिलियन टन/वर्ष वेट टाईप हेतु जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि निम्न का समावेश टीओआर में किया जावेः–

1. औद्योगिक, घरेलू एवं अन्य कार्यों में प्रयुक्त होने वाले जल उपयोग की वास्तविक मात्रा वाटर बेलेंस चार्ट पर दर्शाकर समावेश किया जावे। साथ ही इफ्लुऐंट बेलेंस चार्ट भी प्रस्तुत किया जावे।
2. उद्योग परिसर में चारों ओर न्यूनतम 10 मीटर चौड़ाई के क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं धतुरा बस्ती की ओर कम से कम 50 मीटर चौड़ाई के क्षेत्र में वृक्षारोपण (दक्षिण–पूर्व दिशा की ओर) के विकास हेतु कार्ययोजना का समावेश किया जावे।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जावे।

2. मेसर्स पारस पावर एण्ड कोल बेनीफिशिएशन लिमिटेड, ग्राम–घुटकु, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर (235)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / सीएमआईएन / 17666/2015, यह आवेदन दिनांक 29/10/2016 के द्वारा ऑनलाईन एवं परियोजना प्रस्तावक से दिनांक 10/11/2016 को प्राप्त हुआ है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में दिनांक 23/12/2015 को वेट टाईप कोल वॉशरी क्षमता– 0.96 मिलियन टन / वर्ष के टीओआर बाबत् खसरा नम्बर 2885, 2897, 2903, 2904, 2913, 2915–2921, 2928, 2926/3, 2926/4, 2926/5, 2930, 3000/1, 3000/2, 2999, 3002/1, 3002/2, 2982/1, 2887/88, 2889/2, 2889/3 एवं 2874, कुल एरिया 5.9 हेक्टेयर (14.63 एकड़), ग्राम–घुटकु, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर हेतु आवेदन किया गया था। परियोजना की कुल विनियोग रुपये 15.00 करोड़ है।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 7026 दिनांक 30/03/2016 के द्वारा उद्योग को बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित श्रेणी 2(ए) कोल वॉशरी का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) ईआईए रिपोर्ट बनाने हेतु जारी किया गया था।

परियोजना प्रस्तावक को जारी टर्म्स ऑफ रिफरेन्स (टीओआर) में खसरा नम्बर 2885, 2897, 2903, 2904, 2913, 2915–2921, 2928, 2926/3, 2926/4, 2926/5, 2930, 3000/1, 3000/2, 2999, 3002/1, 3002/2, 2982/1, 2887/88, 2889/2, 2889/3 एवं 2874, कुल एरिया 5.9 हेक्टेयर (14.63 एकड़) में खसरा नम्बर 2889/3, रकबा 0.25 एकड़ हटाये जाने हेतु अनुरोध पत्र दिनांक 16/08/2016 को प्रेषित किया गया।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए जारी टर्म्स ऑफ रिफरेन्स (टीओआर) में खसरा नम्बर 2885, 2897, 2903, 2904, 2913, 2915–2921, 2928, 2926/3, 2926/4, 2926/5, 2930, 3000/1, 3000/2, 2999, 3002/1, 3002/2, 2982/1, 2887/88, 2889/2, 2889/3 एवं 2874, कुल एरिया 5.9 हेक्टेयर (14.63 एकड़) में खसरा नम्बर 2889/3, रकबा 0.25 एकड़ को हटाये जाने हेतु पत्र क्रमांक 1036 दिनांक 09/11/2016 जारी किया गया है।

लोक सुनवाई दिनांक 14/09/2014 प्रातः 11:00 बजे स्थान ग्राम–घुटकु स्थित शासकीय उचित मुल्य की दूकान से लगे मैदान में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर के पत्र दिनांक 27/10/2016 द्वारा प्रेषित किया गया है। तत्पश्चात परियोजना प्रस्तावक द्वारा फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट पत्र दिनांक 29/10/2016 को प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 208वीं बैठक दिनांक 06/12/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक से लोक सुनवाई में उठाये गये मुद्दों के निराकरण की दिशा में प्रस्तावित कार्यवाही की कार्य योजना तथा फाईनल ले–आउट प्लान प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जावे। साथ ही टी.ओ.आर. कम्प्लायंस स्टेटस, पर्यावरण प्रबंधन योजना, ई.आई.ए. रिपोर्ट, रॉ–कोल / वॉशकोल / रिजेक्ट के परिवहन की व्यवस्था, लोक सुनवाई में उठाये गये मुद्दों के निराकरण की दिशा में प्रस्तावित कार्यवाही की कार्य योजना तथा अन्य समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों के साथ प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 03/01/2017 के द्वारा सूचित किया गया।

समिति द्वारा विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 214वीं बैठक दिनांक 11/01/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री राहुल शुक्ला, डॉयरेक्टर, श्री प्रशांत के. जैन, मैनेजिंग डॉयरेक्टर एवं मेसर्स पायोनियर इन्वायरो लेबोरेट्रीज एण्ड कन्सल्टेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से वाय. माहेश्वर रेड्डी उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया किः–

1. स्थल का खसरा नम्बर 2885, 2897, 2903, 2904, 2913, 2915–2921, 2928, 2926/3, 2926/4, 2926/5, 2928, 2930, 3000/1,2, 2999, 3002/1,2, 2982/1, 2887/88, 2889/2 एवं 2874, कुल एरिया 5.82 हेक्टेयर (14.38 एकड़) है, जो ग्राम–घुटकु, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर में स्थित है। भूमि कंपनी के अधिग्रहण में है। यह परियोजना हैवी मिडिया साइक्लोन टेक्नोलॉजी पर आधारित वेट टाईप कोल वॉशरी का है।
2. फाईनल ले–आउट प्लान प्रस्तुत किया गया है।
3. समीपस्थ आबादी ग्राम–घाना 0.62 कि.मी., निकटतम रेलवे स्टेशन घुटकु 0.8 कि.मी. की दूरी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 9.6 किलोमीटर की दूरी पर है। अरपा नदी 2.7 कि. मी., घोंघा नदी 6.7 कि.मी., कुरूंग आर.बी. केनाल 6.9 कि.मी. एवं गोकेना नाला 1.9 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।
4. परियोजना क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।
5. परियोजना क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में मेसर्स फील मिनरल्स बेनीफिशिएशन एण्ड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड– कोल क्रशर 3.2 कि.मी., मेसर्स भाटिया कोल –कोल क्रशर 2.0 कि.मी. एवं मेसर्स फील कोल बेनीफिशिएशन प्राइवेट लिमिटेड (प्रपोज्ड कोल वाशरी) 0.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।
6. मेन प्लांट एरिया 3.67 एकड़, रॉ–कोल स्टोरेज यार्ड 2.0 एकड़, वॉश्ड कोल स्टोरेज यार्ड 1.0 एकड़, रिजेक्ट स्टोरेज 0.58 एकड़, वॉटर स्टोरेज एवं रेन वॉटर हार्वेस्टिंग

0.93 एकड़, आंतरिक मार्ग 1.1 एकड़, पार्किंग 0.2 एकड़ तथा ग्रीन बेल्ट 4.90 एकड़ है। इस प्रकार कुल एरिया 14.38 एकड़ है।

7. **ग्रीन बेल्ट व्यवस्था** – परिसर के चारों तरफ कम से कम 10 मीटर (4.9 एकड़ में) चौड़ी ग्रीन बेल्ट का विकास किया जावेगा। इस प्रकार कुल क्षेत्र में से लगभग 34.1 प्रतिशत क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट का विकास किया जावेगा।

8. **मटेरियल बैलेंस**– रॉ–कोल 960000 टन/वर्ष, वॉस्ड कोल 720000 टन/वर्ष एवं रिजेक्ट कोल 240000 टन/वर्ष होगा।

9. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – वॉशरी रिजेक्ट को ईंधन के रूप में पावर प्लांट में दिया जावेगा। सेटलिंग पौंड से प्राप्त स्लज को रीजेक्ट के साथ ब्लेंड कर उपयोग किया जावेगा। कोल वाशरी से उत्पन्न रिजेक्ट कोल के उपयोग हेतु मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, जांजगीर–चांपा से रिजेक्ट कोल की मात्रा 25000 टन/माह हेतु अनुबंध किया गया है।

10. कच्चा कोयला एस.ई.सी.एल. के कुसमुंडा, दीपका, गेवरा एवं अन्य खदानों से प्राप्त किया जावेगा। रॉ–कोल एवं वाश्ड कोल / रिजेक्ट कोल का परिवहन निकट स्थित उद्योगों तक सड़क मार्ग तथा लम्बी दूरी में स्थित उद्योगों तक रेल मार्ग द्वारा किया जायेगा। लगभग 80 प्रतिशत रॉ–कोल एवं वाश्ड कोल को सड़क मार्ग से एवं लगभग 20 प्रतिशत को उसलापुर रेलवे साईडिंग से परिवहन किया जावेगा तथा रिजेक्ट कोल का पूर्णतः परिवहन सड़क मार्ग द्वारा किया जायेगा।

11. प्रतिदिन 15 घंटों के कार्यशील अवधि के दौरान रॉ–कोल के ट्रांसपोर्टेशन के लिये 150 ट्रक / दिन (क्षमता–20 टन) एवं वाश्ड कोल / रिजेक्ट कोल के ट्रांसपोर्टेशन के लिये 150 ट्रक / दिन (क्षमता–20 टन) का उपयोग किया जावेगा। इस प्रकार कुल 300 ट्रक / दिन (क्षमता–20 टन) का उपयोग किया जावेगा।

12. **जल उपयोग की मात्रा** – प्रतिदिन लगभग 495 घनमीटर/दिन (प्रोसेस 430 घनमीटर/दिन, डोमेस्टिक 05 घनमीटर/दिन, डस्ट सप्रेशन 60 घनमीटर/दिन) जल खपत होगा। जिसका स्त्रोत भू–जल होगा। सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी के पत्र क्रमांक 21–4(332)/ सीटी/ आईएनडी/ 2016/2410 दिनांक 25/10/2016 द्वारा 495 घनमीटर/दिन के भूमिगत जल की उपयोगिता हेतु अनुमति प्राप्त की गई है।

13. **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – उद्योग द्वारा वेट प्रोसेस पर आधारित कोल वॉशरी स्थापित किया जावेगा। घरेलू दूषित जल की मात्रा 4.0 घनमीटर /दिन है, जिसके उपचार हेतु सेप्टिक टैंक की व्यवस्था की जायेगी। प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु थिकनर लगाया जावेगा। थिकनर से उत्पन्न दूषित जल को सेटलिंग पॉंड में उपचार उपरांत पुनः उपयोग किया जावेगा। क्लोज्ड लूप वॉटर सिस्टम की व्यवस्था की जावेगी। शुन्य निस्सारण की स्थिति रखी जायेगी।

14. **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था–** उद्योग द्वारा वेट प्रोसेस पर आधारित कोल वॉशरी स्थापित किया जावेगा। दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक की व्यवस्था की जायेगी। क्लोज्ड सर्किट सिस्टम की व्यवस्था की जावेगी।

15. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कोल क्रशर में बेग फिल्टर स्थापित किया जायेगा। साथ ही डस्ट सप्रेशन / फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव व्यवस्था किया जावेगा। सभी कन्व्हेयर सिस्टम को ढंका जायेगा। कोल वॉशरी से उत्पन्न ध्वनि स्तर के नियंत्रण हेतु पर्याप्त व्यवस्था किया जावेगा तथा कर्मचारियों को ईयर प्लग भी उपलब्ध कराया जायेगा।

16. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी :–** परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन 08 स्टेशनों में, भू–जल गुणवत्ता मापन 08 स्टेशनों में, ध्वनि स्तर मापन 08 स्टेशनों में, सतही जल गुणवत्ता 02 स्टेशनों में तथा मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण मॉनिटरिंग कार्य मार्च 2016 से मई 2016 के मध्य किया गया है। मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 16.72 से 30.2 माईक्रोग्राम / घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 28.1 से 62.3 माईक्रोग्राम / घनमीटर, एसओ$_2$ 7.8 से 18.9 माईक्रोग्राम / घनमीटर तथा एनओ$_{एक्स}$ 8.6 से 20.3 माईक्रोग्राम / घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर 44.6 डीबीए से 60.8 डीबीए पाया गया।

17. आंतरिक मार्गों का पक्कीकरण किया जाना प्रस्तावित है। गारलेण्ड ड्रेन बनाया जावेगा। रेनवाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना की जावेगी। सी.एस.आर. के अंतर्गत विभिन्न कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं :–

1. कोल वाशरी खोलने से उनमें से निकलने वाली राख खेत की जमीन एवं फसल को नष्ट कर देगी।
2. कोल वाशरी से निकलने वाली हवा एवं पानी स्वास्थ्य के लिये भी हानिकारक होगा।
3. उद्योग परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों में सघन वृक्षारोपण किया जावे।
4. उद्योग की स्थापना के पश्चात कोल वाशरी संयंत्र के आसपास निवासरत ग्रामीणों को रोजगार प्रदान किया जावे।
5. उद्योग प्रबंधन द्वारा ग्राम–घुटकु एवं आसपास के क्षेत्र का सामुदायिक विकास किया जावे।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों की वस्तुस्थिति एवं उद्योग प्रबंधन के कार्ययोजना संबंधी जानकारी निम्नानुसार हैः–

1. कोल वाशरी खोलने से राख उत्सर्जन नहीं होगा। सिर्फ कोयले की धुलाई होगी खेत की जमीनों एवं फसल को राख से नष्ट होने जैसी कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि राख उत्पन्न नहीं होगा।
2. प्रस्तावित कोल वाशरी में क्लोज्ड सिस्टम का परिपालन किया जाएगा, जिससे औद्योगिक निस्त्राव उत्सर्जन नहीं होगा। प्रस्तावित कोल वाशरी से 4.0 घनमीटर /दिन घरेलू दूषित जल उत्सर्जन होगा, जिसके उपचार हेतु सेप्टिक टैंक की व्यवस्था की जायेगी। प्रस्तावित कोल वाशरी में शून्य बहिस्त्राव की संकल्पना का परिपालन किया जावेगा।
3. संयंत्र प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत ईआईए रिपोर्ट अनुसार 4.9 एकड़ अर्थात् 34.1 प्रतिशत क्षेत्र में पौधा रोपण किया जावेगा।
4. कोलवाशरी स्थापना के पश्चात स्थानीय ग्रामीणों को उनकी कुशलता के आधार पर रोजगार प्राथमिकता के तौर पर दी जावेगी। अधिकतम रोजगार आसपास के स्थानीय ग्रामीणों को दिया जावेगा।
5. उद्योग प्रबंधन द्वारा सी.एस.आर मद के तहत् ग्राम–घुटकु एवं आसपास के ग्रामों में सामुदायिक विकास का कार्य किया जावेगा। जिसके अंतर्गत चिकित्सालय, शिक्षा,

पेयजल, तालाब सौंदर्यकरण, शौचालय निर्माण आदि का कार्य किया जाकर ग्रामों के विकास में योगदान किया जावेगा।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से खसरा नम्बर 2885, 2897, 2903, 2904, 2913, 2915–2921, 2928, 2926/3, 2926/4, 2926/5, 2928, 2930, 3000/1,2, 2999, 3002/1,2, 2982/1, 2887/88, 2889/2 एवं 2874, ग्राम–घुटकु, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर, कुल एरिया 14.38 एकड़ के कोल वॉशरी क्षमता– 0.96 मिलियन टन / वर्ष (वेट टाईप कोल वॉशरी) हेतु **संलग्न–01** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा की गई।

एस.ई.आई.ए.ए, छ.ग. को तदानुसार सूचित किया जावे।

3. मेसर्स प्रेसियस मिनरल्स एण्ड स्मेल्टिंग लिमिटेड (लखारास टिन ओर माईन), ग्राम–लखारास, तहसील व जिला–दंतेवाड़ा (521)

ऑनलाईन आवेदन –प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 7605/2007, यह आवेदन दिनांक 08/11/2016 के द्वारा ऑनलाईन एवं परियोजना प्रस्तावक के द्वारा दिनांक 25/11/2016 को प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित टिन ओर माईन है। खदान खसरा नं. 115/1, ग्राम–लखारास, तहसील व जिला–दंतेवाड़ा, कुल लीज क्षेत्र 21.084 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता –1500 टन/वर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षेत्रीय प्रमुख, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं:–

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में अवस्थित अन्य खदानों के संबंध में प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है।

प्रस्ताव की सामान्य जानकारी–

1. समीपस्थ आबादी ग्राम–लखारास 0.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
2. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
3. जिओलॉजिकल रिजर्व 228690 किलोग्राम एवं माईनेबल रिजर्व 153887 किलोग्राम है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ड्रिलिंग हेतु जेक हैमर एवं कम्प्रेशर का उपयोग किया जावेगा। ब्लास्टिंग किया जावेगा। उत्खनन ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड् विधि से किया जायेगा। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग किया जावेगा। प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव एवं वृक्षारोपण किया जावेगा। वर्षवार उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

उत्खनन की योजना

वर्ष	ग्रेवल का बल्क डेनसीटी	उत्खनन (टन)

प्रथम वर्ष	1.8	12960
द्वितीय वर्ष	1.8	14904
तृतीय वर्ष	1.8	14904
चतुर्थ वर्ष	1.8	18144
पंचम वर्ष	1.8	20088

पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः– पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 208वीं बैठक दिनांक 06/12/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था किः–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में अवस्थित अन्य खदानों संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे।

समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज, समीपस्थ ग्राम–लखारास से उद्योग स्थल की सीमा से वास्तविक दूरी, 05 कि.मी. के परिधि में आने वाले ग्रामों, बस्ती, एतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल मार्ग, उद्योग, वन क्षेत्र, नदी / नाला आदि को दर्शाते हुये टोपोशीट में जानकारी, जल एवं वायु प्रदूषण व्यवस्थाओं की जानकारी, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन व्यवस्था, माईन वाटर के पुर्नउपयोग की व्यवस्था, वृक्षारोपण, पर्यावरण प्रबंधन योजना, संयुक्त पर्यावरण प्रबंधन योजना (क्लस्टर निर्मित होने पर) एवं अन्य समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों के साथ प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 04/01/2017 के द्वारा सूचित किया गया।

परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 09/01/2017 द्वारा अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया है।

समिति द्वारा विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 214वीं बैठक दिनांक 11/01/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया। परियोजना प्रस्तावक समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के द्वारा अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया कि अपरिहार्य कारणों से दिनांक 11/01/2017 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया जाना संभव नहीं है। समिति द्वारा पत्र का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए प्रस्तुतीकरण हेतु अन्य तिथि देने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

4. मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम–मेटाबोडली, तहसील–पंखाजुर, जिला–कांकेर (527)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 17775/ 2016, यह आवेदन दिनांक 16/11/2016 के द्वारा ऑनलाईन एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 21/11/2016 को प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में टीओआर हेतु दिनांक 17/04/2015 को आयरन ओर उत्पादन क्षमता – 01 मिलियन टन / वर्ष के टीओआर बाबत् कुल एरिया 25 हेक्टेयर, ग्राम–मेटाबोडली, तहसील–पंखाजुर, जिला–कांकेर हेतु आवेदन किया गया था। परियोजना की कुल विनियोग रुपये 4.5 करोड़ है।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 2594 दिनांक 09/09/2015 के द्वारा उद्योग को बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) ईआईए रिपोर्ट बनाने हेतु जारी किया गया था।

लोक सुनवाई दिनांक 05/10/2016 प्रातः 11:00 बजे स्थान ग्राम–चारगांव, तहसील–पंखाजुर, जिला–उ.ब.कांकेर में संपन्न हुई। सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर के पत्र दिनांक 09/11/2016 के द्वारा लोक सुनवाई के दस्तावेज प्रेषित किये गये हैं। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लोक सुनवाई में उठाये गये मुद्दों के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन :– परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 21/11/2016 को ईआईए रिपोर्ट के साथ पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 208वीं बैठक दिनांक 06/12/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक से लोक सुनवाई में उठाये गये मुद्दों के निराकरण की दिशा में प्रस्तावित कार्यवाही का विस्तृत विवरण एवं कार्ययोजना, अनुमोदित माईनिंग प्लान तथा फाईनल ले–आउट प्लान प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जावे। साथ ही टी.ओ.आर. कम्प्लायंस स्टेटस, पर्यावरण प्रबंधन योजना, ई. आई. ए. रिपोर्ट, आयरन ओर के परिवहन की व्यवस्था, लोक सुनवाई में उठाये गये मुद्दों के निराकरण की दिशा में प्रस्तावित कार्यवाही का विस्तृत विवरण एवं कार्ययोजना तथा अन्य समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों के साथ प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 04/01/2017 के द्वारा सूचित किया गया।

समिति द्वारा विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 214वीं बैठक दिनांक 11/01/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री एस.के. मोईत्रा, प्रेसीडेन्ट, श्री एस.के. पॉल, एसोसिएट हेड एवं श्री सुदीप द्विवेदी, मैनेजर इन्वायरोमेन्ट उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया किः–

1. संपूर्ण खदान क्षेत्र प्रोटेक्टेड फारेस्ट के अंतर्गत आता है। फलस्वरुप संपूर्ण भूमि वन भूमि है। आवेदित प्रकरण को पूर्णतः फारेस्ट क्लीरेंस भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 29/02/2003 द्वारा प्राप्त हुआ है।
2. खदान का माईनिंग प्लान क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के पत्र दिनांक 24/08/2016 द्वारा अनुमोदित किया गया है।
3. समीपस्थ आबादी भानूप्रतापपुर 58 कि.मी. एवं शहर कांकेर 68 कि.मी. की दूरी पर है। दल्ली–राजहरा रेल्वे स्टेशन 62 कि.मी. की दूरी पर है। राज्यमार्ग 60 कि.मी. है।

समीपस्थ जलाशय चारगॉव नदी 2.9 कि.मी., घोंगली नदी 5.1 कि.मी., पुलंजगोरी नाला 1.7 कि.मी एवं जमरी नाला 6.1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। 10 कि.मी. की परिधि में कोहथोड़ी प्रोटेक्टेट फारेस्ट लीज बांउन्ड्री से लगी हुई, पोरौंदी प्रोटेक्टेट फारेस्ट 5.8 कि.मी., मंहाकान प्रोटेक्टेट फारेस्ट 4.2 कि.मी., वल्ला प्रोटेक्टेट फारेस्ट 3.8 कि.मी., सुल्तांगी प्रोटेक्टेट फारेस्ट 3.0 कि.मी., सुलंगी प्रोटेक्टेट फारेस्ट 1.7 कि. मी., पुलंज सालेभाट प्रोटेक्टेट फारेस्ट 5.0 कि.मी, नवागांव रिजन प्रोटेक्टेट फारेस्ट 5.6 कि.मी., सिकसोर प्रोटेक्टेट फारेस्ट 5.0 कि.मी. एवं बोवेली प्रोटेक्टेट फारेस्ट 2.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।

4. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
5. जिओलॉजिकल रिजर्व 10.979 मिलियन टन एवं माईनेबल रिजर्व 7.964 मिलियन टन है। बेंच की उंचाई 6.0 मीटर एवं चौड़ाई 9.0 मीटर है। उत्खनन ओपन कास्ट मेकेनाइज्ड् विधि से किया जायेगा। ओव्हर ऑल स्लोप को 45^0 से कम रखा जावेगा, जिससे दुर्घटना होने की संभावना नहीं होगी। खदान की संभावित आयु 7.96 वर्ष है। जनित अपशिष्ट (ओव्हर बर्डन) की कुल मात्रा 1,32,052 घनमीटर होगी। जल की खपत 90 किलोलीटर/दिन है। जल की आपूर्ति डगवेल/ बोरवेल/ डेम एवं माईन पिट वॉटर से की जावेगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की जावेगी। प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव एवं वृक्षारोपण किया जावेगा। लीज क्षेत्र के अंदर गारलेण्ड ड्रेन बनाया जावेगा तथा रन ऑफ वाटर के एकत्रीकरण हेतु सैटलिंग पौण्ड बनाया जावेगा। तत्पश्चात् उपचारित रन ऑफ वाटर का उपयोग लीज क्षेत्र के भीतर विभिन्न कार्यों में किया जावेगा।
6. परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन 08 स्टेशनों में, भू–जल गुणवत्ता मापन 05 स्टेशनों में, ध्वनि स्तर मापन 08 स्टेशनों में, सतही जल गुणवत्ता 04 स्टेशनों में तथा मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2015 से दिसम्बर 2015 के मध्य किया गया है। मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 16.4 से 31.4 माईक्रोग्राम / घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 34.1 से 52.7 माईक्रोग्राम / घनमीटर, एसओ$_2$ 6.5 से 11.1 माईक्रोग्राम / घनमीटर तथा एनओ$_{एक्स}$ 10.2 से 20.8 माईक्रोग्राम / घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर 37.8 डीबीए से 46.0 डीबीए पाया गया।
7. 03 स्टेशनों में पूर्व में आयरन ओर उत्पादन क्षमता – 0.05 मिलियन टन / वर्ष हेतु मॉनिटरिंग कार्य मई 1995 के अनुसार एस.पी.एम. 55.90 से 98.86 माईक्रोग्राम / घनमीटर था। वर्तमान में आयरन ओर उत्पादन क्षमता – 0.05 मिलियन टन / वर्ष हेतु रेगुलर मॉनिटरिंग डाटा अप्रैल 2016 से दिसम्बर 2016 तक के अनुसार पी.एम.$_{10}$ 33.0 से 48.0 माईक्रोग्राम / घनमीटर एवं पी.एम.$_{2.5}$ 17.0 से 28.0 माईक्रोग्राम / घनमीटर है।
8. आयरन ओर के परिवहन हेतु खदान क्षेत्र से रेलवे साईडिंग अंतागढ़ एवं केओती की दूरी 30 कि.मी. है, जिसके पूर्ण होने की संभावना जून – जुलाई 2019 तक है।
9. राज्य मार्ग एवं खदान क्षेत्र के बीच रोड मेंटेनेंस हेतु जिला कलेक्टर, कांकेर, ग्रामवासियों एवं उद्योग के बीच समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत् ग्राम–मेटाबोदली से वर्तमान में निर्मित सड़क तक सीमेंटेड रोड के निर्माण हेतु प्रस्तावित खर्च का 50 प्रतिशत उद्योग द्वारा निर्वहन किया जावेगा।

10. सब्सिडेंस तथा ब्लास्टिंग स्टडी के संबंध में उद्योग का कथन है कि अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार कुछ क्षेत्र में लगभग 30 प्रतिशत आयरन ओर मामूली कठोर (moderately hard) है, जिसे एक्सवेटर तथा रॉक ब्रेकर से उत्खनन किया जावेगा। शेष 70 प्रतिशत स्ट्रेटा कठोर है, जिसमें ड्रीलिंग व ब्लास्टिंग आवश्यक है। वर्तमान में जिला प्रशासन द्वारा इस क्षेत्र में ब्लास्टिंग की अनुमति नहीं दी गई है। अतः साईट मिक्स स्लरी (एस.एम.एस.) का उपयोग किया जाता है। इस ओपन कास्ट माईनिंग में सब्सिडेंस की संभावना तथा दुर्घटना की संभावना नहीं है। अनुमोदित माईनिंग प्लान में ''no high risk accidents are anticipated as the project is an open cast mechanized mines in a fairly stable area and free from land subsidence and earthquake. Overall slope of the quarry will be maintained less than 45^{o} which can withstand in a stable condition and hence the site is safe'' का उल्लेख किया गया है।

लोक सुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं :–

1. भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के दिशा निर्देश 2014 (VII)(2) पृष्ठ – 30 में दर्ज टीप के आधार पर जब तक पूर्व में दिए गए क्षेत्र में संपूर्ण खनिज का दोहन न कर लिया जावे, नई जगह (पिट्स) की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
2. उद्योग द्वारा जिस मार्ग का उपयोग परिवहन हेतु किया जा रहा है, उसकी क्षमता के संबंध में सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र ली जानी चाहिए।
3. पांचवी अनुसूची क्षेत्र का परिपालन कितना सार्थक किया जाता है।
4. ग्राम पंचायतों का महत्व एवं ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्तावों की सार्थकता।
5. पहाड़ी के पटाव, लाल पानी तथा मिट्टी के बहाव की वजह से खेत की फसल का नुकसान हुआ है। नौकरी मुआवजा दी जानी चाहिए।
6. 10 कि.मी. के दायरे में आ रहे लोगों के स्वास्थ्य एवं कृषि के संबंध में अध्ययन कराने की आवश्यकता है।
7. स्थानीय लोगों के प्रशिक्षण के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र (आई.टी.आई.) की व्यवस्था की जानी चाहिए।
8. स्थानीय लोगों को रोजगार देना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के संबंध में उद्योग का कथन एवं कार्ययोजना निम्नानुसार हैः–

1. यह प्रस्ताव 50,000 एम.टी. प्रति वर्ष से 10,00,000 एम.टी प्रति वर्ष क्षमता विस्तार का है। माइनिंग लीज क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। अतः जिन प्रावधानों का उल्लेख किया जा रहा है, वह प्रभावहीन है।
2. जिला प्रशासन के निर्देशानुसार जिस मार्ग से लौह अयस्क का परिवहन किया जा रहा है, उसका रखरखाव उद्योग द्वारा किया जावेगा।
3. प्रत्येक कार्य ग्राम समिति के मान्यता उपरान्त ही किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित हो कि पांचवी अनुसूची में आने वाले किसी भी नियमों का उलंघन न हो।
4. सभी सी.एस.आर. एवं विकास कार्य ग्राम समीति के अनुमति उपरांत ही किया जाता है एवं भविष्य में भी किया जावेगा।

5. पहाड़ी के कटाव, लाल पानी तथा मिट्टी के बहाव की वजह से खेत की फसल नुकसान के संबंध में ग्राम–समिति द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसके अनुसार पाया गया कि खेतों में सामान्य वर्षा जल का ही प्रवाह हुआ है। लाल पानी तथा मिट्टी के बहाव की वजह से खेत की फसल का नुकसान नहीं हुआ है। अतः मुआवजा राशि (compensation) की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है। यह कार्य समिति को सुपुर्द किया गया है एवं उसके द्वारा नुकसान का विश्लेषण करने के बाद मुआवजा राशि सुनिश्चित की जावेगी।
6. परियोजना के सी.एस.आर मद के तहत् किये जाने वाले कार्यों जैसे–चिकित्सा शिविरों एवं स्कूल व्यवस्था आदि में परियोजना में कार्यरत् लोगों के अतिरिक्त ग्राम के सभी ग्रामीणों को इसका लाभ प्राप्त होगा। स्थानीय लोगों को कृषि की नई विकसित तकनीक की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे विकास एवं स्वनिर्भरता बढ़ेगी।
7. उद्योग द्वारा माइनिंग समिति के परामर्श को मान्य करते हुए शैक्षणिक विकास प्रोजेक्ट्स एवं नवयुवकों को स्कील डेव्हलपमेंट ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रशिक्षण प्रदान कर नियमानुसार रोजगार प्रदान किया जावेगा।
8. स्थानीय ग्राम वासियों को रोजगार में प्राथमिकता दिया जावेगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व प्रदत्त पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालनार्थ की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

5. मेसर्स संजय अग्रवाल (नंदनी–खुंदनी लाईम स्टोन माईन), ग्राम–नंदनी–खुंदनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (528)

ऑनलाईन आवेदन –प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 60578/2016, यह आवेदन दिनांक 22/11/2016 के द्वारा ऑनलाईन एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा मूलप्रति प्रस्तुत नहीं किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर खदान है। खदान पार्ट ऑफ खसरा नं. 447 एवं 452, ग्राम–नंदनी–खुंदनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग, कुल लीज क्षेत्र 2.03 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता –9,000 टन/वर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र –परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित चूना पत्थर खदान के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर द्वारा अनुमोदित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं:–

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में अवस्थित अन्य खदानों के संबंध में प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है।

प्रस्ताव की सामान्य जानकारी–

1. निकटतम रेल्वे स्टेशन भिलाई पॉवर हॉउस 22.2 कि.मी. एवं निकटतम शहर दुर्ग 23. 4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।

2. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने अथवा होने, की जानकारी नहीं है।
3. लीज डीड की प्रति अपठनीय है।
4. माईनेबल रिजर्व 342475 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट विधि से उत्खनन किया जावेगा। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जावेगा। बेंच की ऊंचाई 3.0 मीटर होगी। जल की मात्रा 05 कि.ली./दिन (डस्ट सप्रेशन 02 कि.ली./दिन, ग्रीन बेल्ट 02कि.ली./दिन एवं घरेलु उपयोग हेतु 01 कि. ली./दिन) है। जल का स्त्रोत बोरवेल है। प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव एवं वृक्षारोपण किया जायेगा।

पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः– पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 208वीं बैठक दिनांक 06/12/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था किः–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में अवस्थित अन्य खदानों संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे।
2. 05 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने अथवा होने, की जानकारी प्रस्तुत किया जावे।
3. लीज डीड की पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जावे।
4. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे।
5. आवेदन की मूल प्रति प्रस्तुत किया जावे।

समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज, समीपस्थ ग्राम– नंदनी–खुंदनी से उद्योग स्थल की सीमा से वास्तविक दूरी, 05 कि.मी. के परिधि में आने वाले ग्रामों, बस्ती, एतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल मार्ग, उद्योग, वन क्षेत्र, नदी / नाला आदि को दर्शाते हुये टोपोशीट में जानकारी, जल एवं वायु प्रदूषण व्यवस्थाओं की जानकारी, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन व्यवस्था, माईन वाटर के पुर्नउपयोग की व्यवस्था, वृक्षारोपण, पर्यावरण प्रबंधन योजना, संयुक्त पर्यावरण प्रबंधन योजना (क्लस्टर निर्मित होने पर) एवं अन्य समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों के साथ प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 03/01/2017 के द्वारा सूचित किया गया।

समिति द्वारा विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 214वीं बैठक दिनांक 11/01/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया। परियोजना प्रस्तावक समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि

परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण के संबंध में अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर ही आगामी कार्यवाही की जावे।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

6. मेसर्स चीमा ब्रिक्स, ग्राम–मुरकी, तहसील व जिला–महासमुंद (440)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 52835/2016, यह आवेदन दिनांक 13/04/2016 के द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन मे प्रेषित जानकारी में कमियां होने के कारण परियोजना प्रस्तावक को पत्र दिनांक 09/05/2016, 20/07/2016 एवं 29/09/2016 के द्वारा जानकारी मंगाई गई। उक्त पत्रों के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 29/10/2016 को प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह एक प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) इकाई है। खदान खसरा नं. 322/1, 322/2, 328, 44, 301, 302, 304, 306, 307, 308, 309, 319/1, 319/2, 320, 321/1, 321/2, 323, 324, 325, 327, 330, 332, 338, 339/1, 339/2 एवं 340, ग्राम–मुरकी, तहसील व जिला–महासमुंद, कुल लीज क्षेत्र 5.41 हेक्टेयर है। खदान की मिट्टी उत्खनन क्षमता–13260 घनमीटर/वर्ष है। उक्त खसरा नं. में से खसरा नं. 328 श्री बुधराम पिता श्री मामचंद के नाम पर है। श्री बुधराम द्वारा सहमति दी गई है। खसरा नं. 322/1 एवं 322/2 की भूमि श्री बिरेन्दर सिंह पिता श्री चरण जीत सिंह के नाम है। इनसे सहमति ली गई है। शेष भूमि फर्म के भागीदारों के नाम पर है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:–

1. ग्राम पंचायत मोरधा का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–महासमुंद, छत्तीसगढ़ द्वारा अनुमोदित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–महासमुंद के द्वारा जारी प्रमाण पत्र क्रमांक 2019/क/ख.लि/न.क./2016 महासमुंद दिनांक 25/10/2016 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की परिधि में अवस्थित अन्य स्वीकृत खदान क्षेत्र /क्रशर प्लांट/कटिंग पॉलिसिंग/ईट भट्ठा स्थापित नहीं है।

प्रस्ताव की सामान्य जानकारी–

1. समीपस्थ आबादी ग्राम–मुरकी 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 07 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 200 मीटर की दूरी पर है। संशोधित रकबा अनुसार बगनई नदी 100 मीटर की दूरी पर स्थित है।
2. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
3. जियोलॉजिकल रिजर्व 97380 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 92060 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 87457 घनमीटर है। उत्खनन की अधिकतम गहराई 2.0 मीटर है। उत्खनन ओपन कास्ट विधि से की जावेगी। डस्ट उत्सर्जन के रोकथाम हेतु जल छिड़काव किया जावेगा। वर्षवार उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

प्रथम पांच वर्षों की उत्पादन योजना

वर्षवार उत्पादन	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	आयतन प्रति वर्ष
प्रथम वर्ष प्रथम बेंच	4956	0.8	3964.8	8689.8
प्रथम वर्ष द्वितीय बेंच	4725	1.0	4725	
द्वितीय वर्ष प्रथम बेंच	4986	0.8	3988.8	8858.8
द्वितीय वर्ष द्वितीय बेंच	4870	1.0	4870	
तृतीय वर्ष प्रथम बेंच	5014	0.8	4011.2	8861.2
तृतीय वर्ष द्वितीय बेंच	4850	1.0	4850	
चतुर्थ वर्ष प्रथम बेंच	5049	0.8	4039.2	9050.2
चतुर्थ वर्ष द्वितीय बेंच	5011	1.0	5011	
पंचम वर्ष प्रथम बेंच	5132	0.8	4105.6	9175.6
पंचम वर्ष द्वितीय बेंच	5070	1.0	5070	
कुल	—		**44635.6**	

पांचवे वर्ष के बाद की उत्पादन योजना

वर्षवार उत्पादन	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	आयतन प्रति वर्ष
छठवे वर्ष प्रथम बेंच	5153	0.8	4122.4	9182.4
छठवे वर्ष द्वितीय बेंच	5060	1.0	5060	
सातवे वर्ष प्रथम बेंच	5256	0.8	4204.8	9244.8
सातवे वर्ष द्वितीय बेंच	5040	1.0	5040	
आठवे वर्ष प्रथम बेंच	5315	0.8	4252	9247
आठवे वर्ष द्वितीय बेंच	4995	1.0	4995	
नौवे वर्ष प्रथम बेंच	5320	0.8	4256	9251
नौवे वर्ष द्वितीय बेंच	4995	1.0	4995	
दसवे वर्ष प्रथम बेंच	5900	0.8	4720	10220
दसवे वर्ष द्वितीय बेंच	5500	1.0	5500	
कुल	—		**47145.2**	**47145.2**

पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 208वीं बैठक दिनांक 06/12/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था कि:–

1. प्रारूप – 01 में खदान की मिट्टी उत्खनन क्षमता–13260 घनमीटर/वर्ष बताई गई है, जबकि अनुमोदित माईनिंग प्लान में प्रथम पांच वर्ष में अधिकतम उत्खनन 9175.6 (एक वर्ष में) घनमीटर एवं पांच वर्ष पश्चात् अधिकतम उत्खनन 10220 (एक वर्ष में) घनमीटर बताया गया है। स्थिति स्पष्ट करना आवश्यक है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र में ईंट निर्माण इकाई की स्थापना करने अथवा नहीं करने संबंधी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। प्रारूप – 01 तथा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों में इसका उल्लेख नहीं किया गया है।

3. प्रस्तुत संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान में ईंट निर्माण का उल्लेख किया गया है।

4. प्रस्तुत संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान में 41.29 लाख ईंट का निर्माण 9175 घनमीटर मिट्टी से करना बताया गया है। अर्थात प्रति लाख ईंट निर्माण में लगभग 450 घनमीटर मिट्टी का उपयोग बताया गया है, जो कि सही नहीं है। इसी माईनिंग प्लान में एक लाख ईंट के निर्माण हेतु 180 घनमीटर मिट्टी तथा राख के मिश्रण (25 प्रतिशत राख एवं 75 प्रतिशत मिट्टी) का उपयोग ईंट निर्माण में किया जाना बताया गया है। स्पष्ट एवं सही जानकारी (गणना सहित) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

5. यदि ईंट निर्माण इकाई लीज क्षेत्र के अंदर स्थापित किया जाना हो तो प्रारूप – 1 एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों में इसका उल्लेख करते हुये वांछित जानकारियों यथा ईंट निर्माण किल्न का प्रकार, चिमनी का प्रकार, ईंधन की मात्रा, उत्पन्न राख की मात्रा एवं उपयोग, उत्पन्न अन्य ठोस अपशिष्टों (टुटे ईंट आदि) की मात्रा एवं उपयोग, चिमनी की ऊंचाई, वायु प्रदूषण उपकरणों की जानकारी आदि का समावेश करते हुये संशोधित आवेदन प्रस्तुत किया जाना होगा।

6. बगनई नदी से समीपस्थ लीज क्षेत्र की सीमा की वास्तविक दूरी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे।

समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज, समीपस्थ ग्राम–मुरकी से उद्योग स्थल की सीमा से वास्तविक दूरी, 05 कि.मी. के परिधि में आने वाले ग्रामों, बस्ती, एतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल मार्ग, उद्योग, वन क्षेत्र, नदी / नाला आदि को दर्शाते हुये टोपोशीट में जानकारी, जल एवं वायु प्रदूषण व्यवस्थाओं की जानकारी, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन व्यवस्था, वृक्षारोपण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों के साथ प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 04/01/2017 के द्वारा सूचित किया गया।

समिति द्वारा विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 214वीं बैठक दिनांक 11/01/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री जगवीर सिंह चीमा, प्रोपराईटर उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया किः–

1. समिति के संज्ञान में आया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन में दिनांक 29/11/2016 को संशोधित प्रारूप–1, माईनिंग प्लान एवं सर्टिफिकेट प्रेषित किया गया है, जिसके अनुसार केवल मिट्टी उत्खनन किया जावेगा।

2. प्रारूप–1 में मिट्टी की उत्खनन क्षमता अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार ही अधिकतम उत्खनन 10220 घनमीटर बताई गई है। प्रथम 05 वर्षों में मिट्टी उत्खनन की अधिकतम मात्रा 9175.6 घनमीटर बताई गई है।

3. अनुमोदित माईनिंग प्लान केवल मिट्टी उत्खनन हेतु प्रस्तुत किया गया है, ईंट निर्माण इकाई की स्थापना लीज क्षेत्र के अंदर प्रस्तावित नहीं है।

4. खनिज कार्यालय महासमुंद द्वारा बगनई नदी से नियमानुसार प्रतिबंधित क्षेत्र छोड़कर सीमांकित क्षेत्र के लिए संशोधित LOI प्रस्तुत किया गया।

5. खनिज अधिकारी, जिला–महासमुंद द्वारा खनन हेतु कुल रकबा 8.32 हेक्टेयर में से केवल 5.41 हेक्टेयर में खनन की LOI पत्र क्रमांक 1963/क/ख.लि./न.क्र. /2016 दिनांक 07/10/2016 द्वारा जारी किया गया है। प्रस्तुत नक्शे के अनुसार प्रस्तावित खनन क्षेत्र बगनई नदी से 100 मीटर से अधिक दूरी पर है।

6. निकटतम स्कूल एवं मंदिर ग्राम–मुरकी तथा अस्पताल महासमुंद में है। केशवा नाला 2.0 कि.मी. एवं एनीकट 0.4 कि.मी. है।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कमिटमेंट प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार नदी की दिशा की ओर 100 मीटर में स्वयं के भागीदारों की जमीन स्थित है, इसमें वृक्षारोपण किया जावेगा एवं उक्त क्षेत्र में ईंट चिमनी भट्ठा का निर्माण नहीं किया जावेगा।

8. वर्ष में लगभग 100 दिन उत्खनन का कार्य किया जावेगा, उत्खनन से प्राप्त ईंट मिट्टी के परिवहन हेतु ट्रेक्टर का उपयोग किया जावेगा। लगभग 25 ट्रेक्टर प्रतिदिन मिट्टी का परिवहन किया जावेगा।

9. ईंट मिट्टी का परिवहन त्रिपाल से ढ़ककर एवं निकासी मार्ग पर पानी का छिड़काव किया जावेगा। लीज क्षेत्र के चारों तरफ 01 मीटर पट्टी में प्रथम वर्ष में ही वृक्षारोपण किया जावेगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से खसरा नं. 322/1, 322/2, 328, 44, 301, 302, 304, 306, 307, 308, 309, 319/1, 319/2, 320, 321/1, 321/2, 323, 324, 325, 327, 330, 332, 338, 339/1, 339/2 एवं 340, ग्राम–मुरकी, तहसील व जिला–महासमुंद, कुल लीज क्षेत्र 5.41 हेक्टेयर, मिट्टी उत्खनन क्षमता–10,220 घनमीटर /वर्ष हेतु **संलग्न–02** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की गई।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जावे।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(रेजीना टोप्पो)
सचिव,
राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति,
छत्तीसगढ़

(धीरेन्द्र शर्मा)
अध्यक्ष,
राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति,
छत्तीसगढ़

ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS FOR M/S PARAS POWER AND COAL BENEFICIATION LIMITED AT VILLAGE – GHUTKU, TEHSIL-TAKHATPUR, DISTRICT – BILASPUR (C.G.) FOR COAL WASHERY (WET TYPE) 0.96 MILLION TONNE PER YEAR

1) Land requirement shall be 14.38 acres with green belt area minimum 4.9 acres.

2) Project proponent shall ensure that annual throughput capacity of the coal washery shall not exceed 0.96 million tonne.

3) No water bodies (including natural drainage system) in the area shall be disturbed due to activities associated with the setting up / operation of the washery.

4) Project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of industrial and domestic effluent. Thickner followed by sedimentation ponds of adequate capacity shall be provided for treatment of industrial effluent. Domestic effluent shall be treated in septic tank and soak pits. Project proponent shall provide effluent treatment plant before commissioning of the washery. Treated / un-treated effluent collection pond shall be lined suitably to prevent seepage into ground for avoiding ground water contamination. All the effluent treatment system shall be kept in good running condition all the time and failure (if any), shall be immediately rectified without delay; otherwise, similar alternate arrangement shall be made. Project proponent shall ensure the treated effluent quality within standard prescribed by Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India or Chhattisgarh Environment Conservation Board, Raipur (whichever is stringent).

5) Any liquid effluent what so ever generated from industrial activities shall not be discharged into the river or any surface water bodies under any circumstances, and it shall be reused wholly in the process / plantation within premises. All the industrial effluent generated shall be re-circulated / reused after proper treatment. The un-treated / treated domestic effluent shall not be discharge into the river or any surface water bodies. The treated domestic effluent shall be used for plantation purpose after proper disinfection. Project proponent shall make proper arrangements of suitable drains / pipe networks to ensure adequate flow for utilization of treated effluent inside the premises. The concept of zero discharge shall be maintained all the time except during monsoon. Arrangements shall be made that effluents and storm water do not get mixed.

6) Project proponent shall provide adequate measuring arrangements for the measurement of water utilized in different categories and effluent generated before commissioning of the washery.

7) Water consumption shall not exceed 495 cum / day (industrial use – 230 cum / day, dust suppression – 60 cum / day and domestic – 05 cum / day). Water will be sourced from ground water. Water requirement shall be optimized. Wet process based on closed water cycle system shall be adopted. Minimum water drawl for makeup purposes shall be ensured.

8) Project proponent shall provide adequate air pollution control arrangements such as bag filters at all point and non point sources for the control of air pollutants emissions from processes / operations and for the control of emissions during the handling & transportation of raw coal / rejects etc. before commissioning of the washery and maintain in proper order during operation. Project proponent shall install suitable & effective air pollution control equipments at all transfer points, junction points etc. also. All the conveying system, transfer point, junction point etc. shall be covered. The particulate emissions from any point source shall not exceed 50 mg / Nm^3 under any circumstances.

9) At-least 20% of the raw coal and washed coal shall be transported through rail. In case of transportation of raw coal / rejects by road, the project proponent shall maintain fugitive dust emissions to the minimum level in the areas of road transportation routs to ensure compliance National Ambient Air Quality Standards prescribed including black topping / asphalting / concreting and maintenance with requisite water sprinkling arrangements. Vehicular emissions shall be kept under control and regularly monitored. Vehicles used for transporting the mineral shall be covered with tarpaulins and optimally loaded. The project authority shall obtain permission from competent authority of State Government for use of roads for transportation of raw coal, washed coal, reject / fines etc. throught roads. The project authority shall ensure transportation of washed coal and middling / reject throught railway as maximum as possible.

10) All air pollution control systems shall be kept in good running condition all the time and failure (if any), shall be immediately rectified without delay; otherwise, similar alternate arrangement shall be made. In the event of any failure of any pollution control system adopted by the industry, the respective production unit shall not be restarted until the control measures are rectified to achieve the desired efficiency.

11) Adequate number of permanent ambient air quality monitoring stations (not less than four) in the core zone as well as buffer zone for monitoring of $PM_{2.5}$, PM_{10}, NOx and SO_2 shall be set-up in the down wind direction as well as where maximum ground level concentrations are anticipated in consultation with the Chhattisgarh Environment Conservation Board. Monitoring network shall be designed taking into account the environmentally and ecologically sensitive targets, land use pattern, location of the stacks, meteorological conditions and topographic features including existing ambient air quality data. The data so collected shall be properly analyzed and submitted to the Chhattisgarh Environment Conservation Board, Raipur, Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Bilsapur, SEIAA, Chhattisgarh and Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, Nagpur in every six months.

12) Project proponent shall install separate electric metering arrangements with time totalizer and interlocking arrangement for the running of pollution control device(s). These arrangements shall be made in such a fashion that any non-functioning of pollution control device / devices shall immediately stop the electric supply to the raw coal supply system and shall remain tripped till the pollution control device / devices are made functional again / rectified to achieve the desired efficiency.

13) The raw coal, washed coal and coal wastes (rejects) shall be stacked properly at earmarked site (s) within stockyards fitted with wind brakers /

shields. Adequate measures shall be taken to ensure that the stored minerals do not catch fire.

14) Project proponent shall take effective steps for safe disposal of solid wastes and sludge. Project proponent shall obtain authorization from Chhattisgarh Environement Conservation Board for management and handling of hazardous materials as per Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 (if required).

15) All the internal roads shall be made pucca before commissioning of the washery. The project proponent shall adopt good housekeeping practices. The roads shall be regularly cleaned. Avenue plantation shall be developed along the roads. Facilities for parking of vehicles / trucks carrying coal, waste rejects etc. shall be created within the unit premises. No public place shall be used for parking of vehicles / trucks.

16) Project proponent shall take proper action to control the noise pollution. Project proponent shall install appropriate noise barriers / control measures including acoustic hoods, silencers, enclosures etc. on all sources of noise generation to control the noise. Earplugs / ear muffs etc. shall be provided to the employee working in the high noise areas. The noise level shall not exceed the limits 75 dB (A) during the day-time and 70 dB (A) during the night-time within the factory premises. Project proponent shall take adequate measures for control of noise level below 85 dB (A) in the work environment. Workers engaged in noisy areas shall be periodically examined to maintain audiometric record and for treatment for any hearing loss including rotating them to non-noisy / less noisy areas.

17) Project proponent shall provide appropriate arrangements to avoid air pollution, water pollution, noise pollution etc. during construction phase and during transportation of plants / machineries / equipments / construction materials etc. to the propose site. For controlling fugitive dust during transportation and construction works, regular sprinkling of water in village roads and other vulnerable areas of the plant shall also be ensured. The emission from vehicles engaged for transportation of plants / machineries / equipments / construction materials etc. to the site shall be ensured within prescribed vehicle emission norms. First aid and sanitation arrangements shall be made for the drivers and other contract workers during construction phase.

18) The construction of effluent treatment plant and installation of air pollution control equipments shall be taken up simultaneously with other civil / mechanical works at the propose site. The progress of the activities related to the project shall be submitted periodically to Chhattisgarh Environment Conservation Board, Raipur, Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Bilaspur, SEIAA, Chhattisgarh and Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, Nagpur.

19) Project proponent shall provide adequate number of influent and effluent quality monitoring stations / points in consultation with Chhattisgarh Environment Conservation Board. Regular monitoring shall be carried out for relevant parameters. Regular monitoring of surface and ground water quality including heavy metals (Hg, Cr, As, Pb) shall be undertaken and the project area to ascertain the change in the water quality, if any, due to leaching of contaminants from disposal area / project area. Result and data collected shall be analyzed to ascertain the status of water quality and findings shall be submitted. Continuous monitoring of ground water

level and quality shall be carried out by establishing a network of existing wells and constructing new piezometers at suitable locations at the proponent's cost in and around project area in consultation with Regional Director, CGWB, Central Region, Bhopal.

20) Adequate safety measures shall be provided in the plant area to check / minimize spontaneous fires in raw coal yard, washed coal, reject coal, yard etc. especially during summer season. Copy of the these measures with full details along with location plant layout shall be submitted to Chhattisgarh Environment Conservation Board, Raipur, Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Bilaspur, SEIAA, Chhattisgarh and Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, Nagpur.

21) At least 4.9 acres (at-least one third of the total plant area) shall be used for green belt development. Width of green belt shall not be less than 10 meter all along the boundary of the plant premises. As far as possible maximum area of open spaces shall be utilized for plantation purposes. Industry shall ensure that at-least three years old plants shall be planted for green belt development. Project proponent shall abide by the decisions taken by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India / Central Government/ Central Pollution Control Board / State Government / Chhattisgarh Environment Conservation Board from time to time in this regard. Tree density of 1500–2000 trees per hectare with local broad leaf species should be maintained.

22) Project proponent shall provide garland drains with appropriate check dams all along the raw coal, washed coal, washery rejects, coal sludge dump / storage areas etc. to avoid any possibility of erosion (wearing away) during rain. Garland drain (size, gradient & length) and sump capacity shall be designed keeping 50% safety margin over and above the peak sudden rainfall and maximum discharge in the area adjoining the project site. Sump capacity shall also provide adequate retention period to allow proper settling of silt material. Sedimentation pits shall be constructed at the corners of the garland drains. Project proponent shall provide adequate collection and treatment arrangement for proper management of storm water. The surface run-off shall be de-silted through a series of check dams and drains. The storm water shall be collected in storage tanks and used for industrial purpose, so as to reduce the ground water consumption.

23) Project proponent shall adopt the code of practice for coal washeries issued by Central Pollution Control Board.

24) Project proponent shall adopt rainwater-harvesting technique in the project area and residential area (if any) for recharge of ground water. The rainwater-harvesting technique shall be incorporated right from the design stage of all structures. Project proponent shall develop rainwater-harvesting structures to harvest the rainwater for utilization in the lean season as well as to recharge the ground water table. A detailed scheme for rainwater harvesting to recharge the ground water aquifer shall be prepared in consultation with Central Ground Water Authority / State Ground Water Board. A copy of the same shall be submitted within three months to the Chhattisgarh Environment Conservation Board, Raipur, Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Bilaspur, SEIAA, Chhattisgarh and Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, Nagpur.

25) Project proponent shall establish an environmental management cell to carryout function relating to environmental management under the supervision of senior executive who would directly report to the head of organization. A full-fledged laboratory with qualified technical / scientific staffs to monitor the influent, effluent, ground water, surface water, soil, stack emission and ambient air quality etc. shall be provided.

26) The project proponent shall also comply with all the environment protection measures and safeguards recommended in the EIA/EMP report. Further, the project proponent must undertake socio-economic development activities in the surrounding village like community development programme, educational programmes drinking water supply and health care etc.

27) To ensure the generation of employment in the local areas, recruitment shall be done from the local residents of the Chhattisgarh State. Local persons shall be given employment during construction and operation of the coal washery.

28) Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, crutch etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.

29) Occupational Health Surveillance of the all workers shall be done on a regular basis i.e. at-least once in a year and records maintained as per the factories act.

30) Project proponent shall also ensure the availability of adequate pastureland for cattle feed after acquisition of land. Project proponent shall also facilitate the respective Gram Panchayats for development of alternative pastureland for cattle feed in the villages as per demand of concerning Gram Panchayat(s).

31) Adequate funds shall be allocated for undertaking CSR activities (apart from committed plantation) and in any case it shall not be less than 02% of the profit. Project authority must undertake socio-economic development activities in the surrounding villages like community development programmes, educational programmes, drinking water supply and health care etc. Details of activities shall also be submitted to Chhattisgarh Environment Conservation Board, Raipur, Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Bilaspur SEIAA, Chhattisgarh and Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, Nagpur. The funds earmarked for the environment protection measures shall not be diverted for other purpose and year-wise expenditure should be reported to the Chhattisgarh Environment Conservation Board, Raipur, Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Bilaspur, SEIAA, Chhattisgarh and Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, Nagpur.

32) SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to revoke the clearance if conditions stipulated are not implemented to the satisfaction. SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to amend / cancel any of the conditions and add new conditions and make further stringent the emission / effluent limit as and when deemed necessary in the interest of environmental

protection, change in the project profile or non-satisfactory implementation of the stipulated conditions etc.

33) The project proponent shall advertise in at least two local newspapers widely circulated in the region around the project, one of which shall be in the vernacular language of the locality concerned within seven days from the date of this clearance letter, informing that the project has been accorded environmental clearance and copies of clearance letter are available with the Chhattisgarh Environment Conservation Board and may also seen at Website of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India at www.envfor.nic.in and website of SEIAA, Chhattisgarh at www.seiaacg.org.

34) A copy of the clearance letter shall be sent by the proponent to concerned Panchayat, Zila Parisad / Municipal Corporation, urban local Body and the Local NGO, if any, from whom suggestions / representations, if any, received while processing the proposal. The clearance letter shall also be put on the website of the Company by the proponent.

35) Half yearly report on the status of implementation of the stipulated conditions and environment safeguards shall be submitted to the Chhattisgarh Environment Conservation Board, Raipur, Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Bilaspur, SEIAA, Chhattisgarh and Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climage Change, Government of India, Nagpur.

36) Regional Office of the Ministry of Environment, Forest and Climage Change at Nagpur will monitor the implementation of the stipulated conditions. A complete set of documents including Environment Impact Assessment Report and Environment Management Plan along with the additional information submitted from time to time shall be forwarded to the Regional Office for their use during monitoring. Project proponent will up-load the compliance status in their website and up-date the same from time to time at least six monthly basis.

37) The project authority shall constitute a monitoring committee comprising of representatives of all stake holders i.e. Gram Panchayat, villagers, workers, transporters and management etc. This committee shall monitor the conditions stipulated in the environmental clearance, environmental protection measures adopted, socio-economic development activities / community development programmes undertaken etc. The committee shall monitor the above matters at-least once in a month; during which, factual situation regarding above matters will be discussed. The procedings of the committee shall be recorded in writing along with suggestions (if any). Project management shall take immediate action on the basis of observations / suggestions of the committee. A copy of the procedings of the committee shall be submitted to Regional Officer, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Bilaspur for information.

38) The project authorities shall inform the Regional Office as well as the SEIAA, Chhattisgarh regarding the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities and the dates of start of land development work and commissioning of washery.

39) Full cooperation shall be extended to the Scientists / Officers from the SEIAA, Chhattisgarh, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India /Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, Nagpur / the CPCB /

the Chhattisgarh Environment Conservation Board, who would be monitoring the compliance of environment status.

40) In case of any deviation or alteration in the proposed project from those submitted to this SEIAA, Chhattisgarh for clearance, a fresh reference should be made to the SEIAA, Chhattisgarh to assess the adequacy of the condition(s) imposed and to add additional environment protection measures required, if any. No further expansion or modifications in the plant should be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India / SEIAA, Chhattisgarh.

41) Concealing factual data or submission of false / fabricated data and failure to comply with any of the conditions mentioned above may result in withdrawal of this clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

42) The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.

43) The above stipulations would be enforced among others under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986 and rules there under, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016, the Public Liability Insurance Act, 1991 and its amendments. The proponent shall ensure to provide for the costs incurred for taking up remedial measures in case of soil contamination, contamination of groundwater and surface water, and occupational and other diseases due to the washery operations.

44) The issuance of this environmental clearance does not convey any property rights in either real or personal property, or any exclusive privileges, nor does not authorize any injury to private property or any invasion of personal rights, nor any infringement of Central, State or Local laws or regulations.

45) Any appeal against this environmental clearance shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

Secretary, SEAC **Chairman, SEAC**

मेसर्स चीमा ब्रिक्स

को खसरा नं. 322/1, 322/2, 328, 44, 301, 302, 304, 306, 307, 308, 309, 319/1, 319/2, 320, 321/1, 321/2, 323, 324, 325, 327, 330, 332, 338, 339/1, 339/2 एवं 340, ग्राम–मुरकी, तहसील व जिला–महासमुंद, कुल लीज क्षेत्र 5.41 हेक्टेयर, मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता 10,220 घनमीटर / प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति मे दी जाने वाली शर्तें

1. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
2. उत्खनन क्षेत्र 5.41 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से अधिकतम मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता 10,220 घनमीटर / वर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जावे। लीज क्षेत्र में ईंट निर्माण इकाई (ब्रिक्स किल्न) स्थापित नहीं की जावेगी।
3. उत्खनन की अधिकतम गहराई 2.0 मीटर से अधिक नहीं होगी। उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग मे की जावेगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावे।
4. मिट्टी उत्खनन में विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जावे। पहुॅच मार्ग एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल छिडकाव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जावे।
5. वाहनों एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जावेगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नही होनी चाहिये।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जावे।
7. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जावे, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनर्उपयोग किया जावे। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिये सैप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था किया जावे एवं किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जावे। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जावे।
8. उत्खनन के दौरान हटाई गई उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्वार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जावे। जहां पर उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ–साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जावे।

9. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी मिट्टी को उचित प्रकार से सुरक्षित रखा जावे ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सके एवं खनन के पश्चात बने गड्डों में पुर्न भरण (बैक फिलिंग) हेतु भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। भण्डारित डम्प की ऊॅचाई 03 मीटर तथा स्लोप 45 डीग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जावे।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल /गारलैण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जावे।
11. मिट्टी का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़ंके हुये वाहन से किया जावे, ताकि मिट्टी वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जावे।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 01 मीटर चौड़ी बेल्ट), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जावे। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जावे।
13. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2017 में कम से कम 200 पौधे प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 1100 पौधों का रोपण खदान के चारों ओर किया जावे। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जावे। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जावे। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जावे।**
14. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाये।
15. उत्खन्न की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जावे कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।
16. मिट्टी उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जावे।
17. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जावेगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
18. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जावें।
19. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।
20. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी

निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुॅचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों /विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

21. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें मिट्टी उत्खनन सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस. ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जावे।
22. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोडने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
23. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियॉ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल मे अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।
24. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जावे।
25. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जावेगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जावे।
26. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जावे।
27. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा

लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

28. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ मे प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जावे, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जावे।
29. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।
30. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सचिव, एस.ई.ए.सी. **अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.**